

**भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक**

**101-102, हर्मिटेज आफिस काम्प्लेक्स, 1 ली मंजिल, हिल फोर्ट रोड, सैफाबाद, हैदराबाद-500004**

वेबसाइट : **www.sidbi.in**

**ई-नीलामी द्वारा बिक्री की सार्वजनिक सूचना**

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) व 8(9) के अंतर्गत**

 **ई-नीलामी (ऑन लाइन) द्वारा आस्तियों (संपत्ति) की बिक्री**

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 5, 6, 7, 8 व 9 के अंतर्गत बैंक में बंधक/दृष्टिबंधक चल /अचल आस्तियों(संपत्तियों) की ई-नीलामी द्वारा बिक्री। वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सन 2002 का 54वाँ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे दिए गए उधारकर्ता खातों के संबंध में दी गई ऋण सुविधाओं के प्रतिस्वरूप धारित निम्नोल्लिखित प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा ले लिया है।

संबंधित उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं / गारंटीदाताओं को बिक्री विषयक नोटिस पूर्व में ही जारी किए जा चुके हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक(सिडबी) को देय प्रतिभूत ऋणों की वसूली हेतु इन प्रतिभूत आस्तियों (संपत्तियों) को *‘जो है जैसा है तथा जो है जहाँ है’* आधार पर नीचे वर्णित सार्वजनिक ई-नीलामी द्वारा बिक्री करने का निर्णय किया गया है।

|  |  |
| --- | --- |
| प्रतिभूत ऋणदाता का नाम और पता  | भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)हैदराबाद शाखा कार्यालय ,101-102, हर्मिटेज आफिस काम्प्लेक्स, 1 ली मंजिल, हिल फोर्ट रोड, सैफाबाद, हैदराबाद-500004  |
| उधारकर्ता / बंधककर्ता का नाम और पता  | आरवीआर मरीन प्रोडक्ट्स लिमिटेडपंजीकृत कार्यालय: 26-8-6, बालुसुमुडी, भीमावरम, आंध्र प्रदेश – 534202 |
| बैंक को देय बकाया राशि  | यथा 31 मार्च 2015 को 736.85 लाख रुपये और उस पर अप्रैल 01 2015 से ब्याज और अन्य लागत और शुल्क ।  |
| **संपत्ति(आस्तियों) का विवरण / मालिक / बंधककर्ता**  | **नाम:**1. **श्रीमती रेब्बा धनलक्ष्मी**
2. **श्री रेब्बा सत्यनारायण**
3. **श्रीमती रेब्बा भाग्यवती**
4. **श्री दासारी ब्रहमानंदम**
5. **श्री रेब्बा बाबू राव**
6. **श्री रेब्बा सतीश कुमार**
 |
| **संपत्तियों (आस्तियों) का विवरण:** **संपत्ति 1: श्री रेब्बा सत्यनारायण और श्रीमती रेब्बा धनलक्ष्मी के स्वामित्ववाली** तल और पहली मंजिल सहित दुमंजिली आवासीय इमारत दरवाजा सं. 27-17-55 / 20-3 No.27-17-55 / 20-3 / 1 , 340 वर्ग गज के क्षेत्र में = 283-29 वर्ग मीटर , पुराना नगर आकलन सं..1236= नए आकलन सं..1074006886 व 1074006887 लेआउट प्लाट सं. 21 में स्थित (देखें संशोधित एल.पी. सं..160 / 89 दिनांक 21-12-1989 = एल.पी. सं..601 / 84 डीटीसीपी , भारत सरकार, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद) Ac.2-13 सेंट के लेआउट भूमि की आरएस सं. 77 / 2 में Ac.0-20 सेंट शामिल, पश्चिमी ओर Ac.3-31 में से Ac.1-93 सेंट, आरएस सं..78 में से Ac.7-33 सेंट जिरोयिती भूमि, भीमावरम में एएसआर नगर में स्थित, भीमावरम नगरपालिका सीमा के भीतर, पश्चिम गोदावरी जिला में अवस्थित है निम्नलिखित सीमा के भीतर: पूर्व: भूखंड संख्या 20 में साइटपश्चिम: भूखंड संख्या.22 में साइटउत्तर: भूखंड संख्या. 24 में साइटदक्षिण: 9-15 मीटर विस्तृत लेआउट सड़क। तथा इससे जुड़े सभी निर्माण और संरचनाओं सहित और उस पर भूमि से जुड़ी या स्थायी रूप से भूमि से जुड़ी किसी भी वस्तु के साथ बांधी गई संयंत्र और मशीनरी के सहित।**संपत्ति 2: स्वामित्व श्रीमती रेब्बा भाग्यवती** आर.एस. सं. 210, द्वार सं. 15/207 के पास, संपूर्ण खाली भूखंड क्षेत्रफल 454 वर्ग गज = 379.544 वर्ग मीटर, वार्ड सं. 15, सर्वे वार्ड सं. IV, एडेपल्ली में स्थित, मछलीपट्टनम नगर क्षेत्र की सीमा, कृष्णा जिला, मछलीपट्टनम के एसआरओ के भीतर, कृष्णा जिला, निम्नलिखित सीमाओं के भीतर स्थित :पूर्व: रेब्बा बाबू राव की साइटदक्षिण: 20 फुट चौड़ी सड़कपश्चिम: डोंका उत्तर: रेब्बा सत्यनारायणा की साइटतथा इससे जुड़े सभी निर्माण और संरचनाओं सहित और उस पर भूमि से जुड़ी या स्थायी रूप से भूमि से जुड़ी किसी भी वस्तु के साथ बांधी गई संयंत्र और मशीनरी के सहित।**संपत्ति 3: स्वामित्व श्रीमती रेब्बा धनलक्ष्मी** आर.एस. सं. 210, द्वार सं. 15/207 के पास , संपूर्ण खाली भूखंड क्षेत्रफल 573 वर्ग गज = 479.028 वर्ग मीटर, वार्ड सं. 15, सर्वे वार्ड सं. IV, एडेपल्ली में स्थित, मछलीपट्टनम नगर क्षेत्र की सीमा, कृष्णा जिला, मछलीपट्टनम के एसआरओ के भीतर, कृष्णा जिला, निम्नलिखित सीमाओं के भीतर स्थित :पूर्व: कुनापारेड्डी रामबाबू और अन्य की साइटदक्षिण: हमारे प्रस्तावित बंधक की साइटपश्चिम: वासु और अन्य की साइटउत्तर: इनुमुला कुमारी की साइटतथा इससे जुड़े सभी निर्माण और संरचनाओं सहित और उस पर भूमि से जुड़ी या स्थायी रूप से भूमि से जुड़ी किसी भी वस्तु के साथ बांधी गई संयंत्र और मशीनरी के सहित।**संपत्ति 4: स्वामित्व श्री दसारी ब्रह्मानंदम** सर्वे सं. 7/पी, 8/पी, 77, 105, 106, 108/पी, 127 और 130, से कवर , संपूर्ण खाली लेआउट भूखंड सं. 40 में 1119 वर्ग गज = 935-59 वर्ग मीटर, नंदीगामा गांव, नंदीगामा ग्राम पंचायत के भीतर, पठानचेरू मंडल के भीतर, मेडक जिला, ए.पी., संगारेड्डी एसआरओ के भीतर, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश , निम्नलिखित सीमाओं के भीतर स्थित :उत्तर: 25 फुट चौड़ी सड़कदक्षिण: 40 फुट चौड़ी सड़कपूर्व: कृषि भूमि सं..39पश्चिम: 25 फुट चौड़ी सड़कतथा इससे जुड़े सभी निर्माण और संरचनाओं सहित और उस पर भूमि से जुड़ी या स्थायी रूप से भूमि से जुड़ी किसी भी वस्तु के साथ बांधी गई संयंत्र और मशीनरी के सहित।**संपत्ति 5: स्वामित्व श्री रेब्बा बाबू राव** आर.एस. सं. 204/2ए, द्वार सं. 15/2007 के पास , संपूर्ण खाली भूखंड क्षेत्रफल 1560 वर्ग गज = 1304.36 वर्ग मीटर , उत्तर की ओर Ac.0-86 सेंट Ac. 1-72 सेंट में से, माचावरम, मछलीपट्टनम नगरपालिका सीमा, कृष्णा जिला, मछलीपट्टनम के एसआरओ के भीतर स्थित कृष्णा जिला, निम्नलिखित सीमाओं के भीतर :पूर्व : आरएस सं. .204 /3 और 204 में दसारी रामा राव और दसारी बसवेश्वरा राव और अन्य की साइट दक्षिण: चंदना मुरली कृष्णा की साइटपश्चिम: बाईपास सड़क उत्तर: रेब्बा सतीश कुमार की साइट तथा इससे जुड़े सभी निर्माण और संरचनाओं सहित और उस पर भूमि से जुड़ी या स्थायी रूप से भूमि से जुड़ी किसी भी वस्तु के साथ बांधी गई संयंत्र और मशीनरी के सहित।**संपत्ति 6: स्वामित्व श्री रेब्बा सतीश कुमार** आर.एस. सं. 204/2ए, द्वार सं. 15/2007 के पास, संपूर्ण खाली भूखंड क्षेत्रफल 1560 वर्ग गज = 1304.36 वर्ग मीटर, उत्तर की ओर Ac.0-86 सेंट Ac. 1-72 सेंट में से, माचावरम, मछलीपट्टनम नगरपालिका सीमा, कृष्णा जिला, मछलीपट्टनम के एसआरओ के भीतर स्थित कृष्णा जिला, निम्नलिखित सीमाओं के भीतर :पूर्व : आरएस सं. .204 /3 और 204 में दसारी रामा राव और दसारी बसवेश्वरा राव और अन्य की साइट दक्षिण: रेब्बा बाबू राव की साइटपश्चिम: बाईपास सड़क उत्तर: रेब्बा सतीश कुमार, नंदनम राम अंजनेया वारा प्रसाद और पोलाग्नी वामसी कीर्ति की साइट तथा इससे जुड़े सभी निर्माण और संरचनाओं सहित और उस पर भूमि से जुड़ी या स्थायी रूप से भूमि से जुड़ी किसी भी वस्तु के साथ बांधी गई संयंत्र और मशीनरी के सहित।**संपत्ति 7: स्वामित्व श्री रेब्बा बाबू राव** आर.एस. सं. .129/2ए, द्वार सं, 2/122 के पास , संपूर्ण खाली भूखंड सं. 10 में 750 वर्ग गज = 627.09 वर्ग मीटर ,पूर्व की ओर 806 वर्ग गज में से, रुद्रावरम गांव, मछलीपट्टनम मंडल, कृष्णा जिले में स्थित मछलीपट्टनम के एसआरओ के भीतर, कृष्णा जिला, निम्नलिखित सीमा के भीतर स्थित खाली भूखंड :पूर्व : 30 फीट चौड़ी लेआउट सड़कदक्षिण : भूखंड सं.9पश्चिम: प्रस्तावित बंधक की साइट उत्तर: डोंका सड़कतथा इससे जुड़े सभी निर्माण और संरचनाओं सहित और उस पर भूमि से जुड़ी या स्थायी रूप से भूमि से जुड़ी किसी भी वस्तु के साथ बांधी गई संयंत्र और मशीनरी के सहित। |
| ई-नीलामी की तारीख़ व समय  | 11-01-2017 पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे के बीच बिक्री समाप्त होने तक प्रति 5 मिनिट अवधि के असीमित स्वत:-विस्तारणों सहित  |
| ई-नीलामी का पोर्टल  | https://www.bankeauctions.com. |
| बयाना राशि (ईएमडी) (रु. लाख)  | संपत्ति सं. 1 | 320.00 |
| संपत्ति सं. 2 | 55.00 |
| संपत्ति सं. 3 | 65.00 |
| संपत्ति सं. 4 | 45.00 |
| संपत्ति सं. 5 | 165.00 |
| संपत्ति सं. 6 | 165.00 |
| संपत्ति सं. 7 | 4.00 |
| कुल  | रूपये 8,19,00,000/- (रूपये आठ करोड़ उन्नीस लाख)  |
| बयाना राशि-रु. लाख (प्रत्येक संपत्ति के आरक्षित मूल्य का 10%) ) | संपत्ति सं. 1 | 32.00 |
| संपत्ति सं. 2 | 5.50 |
| संपत्ति सं. 3 | 6.50 |
| संपत्ति सं. 4 | 4.50 |
| संपत्ति सं. 5 | 16.50 |
| संपत्ति सं. 6 | 16.50 |
| संपत्ति सं. 7 | 0.40 |
| बोली-वर्द्धन गुणांक राशि  | रु. 10,000/- सभी संपत्तियों के लिए समान  |
| पता, जहाँ टेंडर दस्तावेज़ प्रस्तुत किया जाना है  | लागू नहीं , क्योंकि उसे ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है  |
|  | संपत्ति सं. 2,3,5,6 & 7 | 10.12.2016 |
| संपत्ति सं. 1 | 16.12.2016 |
| संपत्ति सं. 4 | 17.12.2016 |
| टेंडर फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख़  | 09-01-2017 को शाम 05:00 बजे तक  |
| ऑनलाइन प्रस्तावों को खोलने की तारीख, समय और स्थान  | 11-01-2017/ 11:00 पूर्वाह्न से 01:00 अपराह्न, सी-1 इंडिया आक्शन पोर्टल  |

**अन्य नियम एवं शर्तें**

1. ई-नीलामी ऊपर उल्लिखित दिनांक एवं समय तक जारी रहेगी और जब तक बिक्री समाप्त नहीं हो जाती तब तक इसमें 5 मिनिट प्रत्येक का असीमित स्वत:-विस्तारण होता जाएगा तथा बिक्री के लिए लिस्ट की गई सभी संपत्तियों के लिए समान न्यूनतम बोली-वर्द्धन गुणांक राशि रु.10,000/- है ।
2. इच्छुक क्रेता पहले से समय लेकर अपने स्वयं के खर्च पर ऊपर उल्लिखित दिनांक को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे के दौरान आस्तियों (संपत्तियों) का निरीक्षण कर सकते हैं।
3. संपत्ति के निरीक्षण हेतु पहले से समय लेने के लिए श्री अनूप बी., सहा. प्रबंधक ( मोबाइल सं. +91-7674333933 ) तथा सुश्री लावण्या ए.आर., सहा. प्रबंधक , हैदराबाद शाखा ( दूरभाष सं. 040-23210655) से संपर्क करें।

1. इच्छुक बोलीकर्ताओं को उपर्युक्त ई-नीलामी में बोली लगाने हेतु श्री बी. गांधी, मोबाइल सं. 9700333933 (ई-मेल: bikkina.gandhi@bankeauctions.com) से यूज़र आईडी और पासवर्ड लेना अनिवार्य होगा। पासवर्ड का आवंटन केवल उन्हीं बोलीकर्ताओं को किया जाएगा जो ई-नीलामी के नियम और शर्तों को पूरा करते हों और जिन्होंने 09.01.2017 को शाम 5:00 बजे तक अपेक्षित बयाना राशि एवं आवश्यक दस्तावेज़ जमा कर दिए हों।
2. बैक द्वारा ई-नीलामी की जाएगी तथा इच्छुक बोलीकर्ता श्री बी. गांधी, मोबाइल सं. 9700333933 (ई-मेल: bikkina.gandhi@bankeauctions.com) से ई-नीलामी विषयक ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
3. बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने और ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व नीलामी द्वारा बिक्री के बारे में वेबसाइट: www/bankeauctions.com पर दिए गए विस्तृत नियम और शर्तों को पढ़ लें तथा /या प्राधिकृत अधिकारी श्री रविन्द्रन ए. लक्ष्मणन से फोन नं. 040 – 23231343 पर संपर्क करें ।.
4. उपरोक्त उल्लिखित बयाना राशि की अदायगी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के चालू खाता सं. 0142003028300 में एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से करनी होगी। खाताधारक का नाम : सिडबी, बैंक: आईडीबीआई बैंक लि., बशीर बाग शाखा, हैदराबाद, हिताधिकारी : भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक: आईएफएससी कोड सं. IBKL0000002. बयाना राशि, ई-नीलामी निविदा फॉर्म (जो https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध है और निविदा फॉर्म प्रस्तुत करने की अतिम तारीख़ व समय 09.01.2017 को शाम 5:00 बजे तक है) तथा पहचान पत्रों (वोटर कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट) जिनमें भविष्य में पत्रव्यवहार के लिए पते हों की प्रतियों और पैन कार्ड की प्रति के साथ जमा करें ।
5. बयाना राशि (ईएमडी) प्राप्त होने पर इच्छुक बोलीकर्ताओं को अपने वैध ई-मेल आईडी (ई-नीलामी के लिए अनिवार्य) पर सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, श्री बी.एम. गांधी (9700333933) से यूजर आईडी / पासवर्ड प्राप्त होगा । बोलीकर्ताओं के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र और वैध ई-मेल आईडी होना चाहिए (इच्छुक बोलीकर्ताओं के लिए ई-मेल आईडी बहुत जरूरी है क्योंकि मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईडी और पासवर्ड के आवंटन सहित सभी प्रासंगिक जानकारियां ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएंगी )।
6. यदि उधारकर्ता द्वारा सिडबी की ओर से जारी निविदा के अनुसार बोली स्वीकार किए जाने से पहले देय राशि को पूर्ण रूप से चुका दिया जाता है तो बैंक निविदा के संबंध में कार्रवाई नहीं की जाएगी और तद्विषयक आवश्यक सूचना भेज दी जाएगी।
7. किसी भी वजह से देरी से प्राप्त होने वाले बयाना राशि जमा (ईएमडी) / ई-नीलामी दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
8. सिडबी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह बिक्री की पुष्टि से पहले बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी प्रस्तावों/निविदाओं को स्वीकार अथवा अस्वीकृत कर दे और ई-नीलामी को निरस्त कर दे।
9. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आस्ति की बिक्री के बारे में अधिकतम बोली को स्वीकार करने पर बोलीकर्ता को बिक्री के संबंध में लगाई गई बोली की राशि का 25% (जिसमें बयाना राशि भी शामिल होगी) तुरंत जमा करना होगा। ऐसा न करने पर बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को पुन: बेचा जाएगा तथा चूककर्ता क्रेता उक्त संपत्ति को खरीदने के संबंध में अपने सभी दावे खो देगा।
10. शेष राशि, सिडबी द्वारा बोली स्वीकार किये जाने की तारीख़ से 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर अदा करनी होगी । निर्धारित अवधि के अंदर शेष राशि अदा न किए जाने की स्थिति में, पूर्व में जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी ।
11. आस्तियों (संपत्तियों) की बिक्री *‘जो है जैसा है तथा जो है जहाँ है’* आधार पर की जाएगी।
12. मामले की वस्तुस्थिति और परिस्थितियों के मद्देनज़र सिडबी को आवश्यकतानुसार उपर्युक्त नियमों और शर्तों को बदलने/आशोधित करने/जोड़ने-घटाने ने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। ऐसे मामले में जहाँ संपत्तियों के क्रय का प्रस्ताव किसी क्रेता से आस्थगित अदायगी के आधार पर स्वीकार किया गया हो, सिडबी के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि बैंक को क्रेता के संबंध में क्रेता के बैंकर से असंतोषजनक रिपोर्ट मिलने अथवा अन्य कोई वैध कारण होने पर प्रस्ताव को निरस्त/संशोधित कर दे।
13. यह बिक्री, सिडबी के इस अधिकार को कोई क्षति पहुचाएं बिना की जा रही है कि सिडबी उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले ऋण वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार उधारकर्ता /गारंटीदाता आदि के विरुद्ध ऋण वसूली प्राधिकरण, विशाखापट्टनम और / अथवा अन्य प्राधिकारियों के समक्ष इच्छानुसार कार्रवाई कर सकता है।
14. बिक्री की जाने वाली संपत्तियों /आस्तियों के संबंध में सरकार या किसी अन्य पक्ष का किसी तरह का प्रभार, ग्रहणाधिकार, भार अथवा और कोई बकाया देय के बारे में प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत ऋणदाता उत्तरदायी नहीं होगा।
15. आस्तियों(संपत्तियों) के हस्तांतरण (conveyance) से संबंधित समस्त प्रभार/शुल्क/कर , यथा – पंजीकरण शुल्क, स्टांप ड्यूटी, अन्य अधिभार, यदि कोई हो तथा अन्य ज्ञात / अज्ञात देनदारियाँ, व्यय, संपत्ति कर, सरकार को देय अन्य कोई सांविधिक अथवा व्यक्तियों को देय बकाया राशियाँ आदि, जो भी नियमानुसार लागू हों, सफल क्रेता को स्वयं वहन करना/चुकाना होंगे।
16. इच्छुक बोलीकर्ताओं को चाहिए कि वे निविदा प्रस्तुत करने/ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्वयं बैंक के प्रभारों के अतिरिक्त उक्त संपत्ति के हक-स्वामित्व विलेख, उसके क्षेत्रफल व विस्तार और उससे जुड़ी सांविधिक देयताओं/करों/बकाया देय आदि और अनुमोदित/मंजूर नक्शे आदि के बारे में पूरी जानकारी सावधानी से प्राप्त कर लें। ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के पश्चात बेची जाने वाली आस्ति / संपत्ति के ऊपर भार / प्रभार या अन्य किसी विषय में किसी भी प्रकार का दावा सुना या स्वीकार नहीं किया जाएगा।
17. यह बिक्री प्रतिभूत ऋणदाता अर्थात सिडबी की पुष्टि के अधीन है।
18. आरक्षित मूल्य से कम राशि की कोई बोली स्वीकार्य नहीं होगी। सशर्त प्रस्तावों सहित की गई बोलियाँ अवैध मानी जाएंगी।
19. निविदा प्रस्तुत किए जाने के उपरांत प्रस्ताव में किसी प्रकार के परिवर्तन / आशोधन विषयक पत्राचार पर कोई विचार नहीं किया जा सकेगा।
20. क्रेता द्वारा खरीद के पश्चात, सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट ऐसी किसी भी अपकारक / प्रतिबंधित वस्तु / सामग्री / मशीन का स्थल पर विनिर्माण नहीं किया जा सकेगा।
21. बोलीकर्ताओं को उनके हित में सलाह दी जाती है कि अंतिम मिनिट अथवा सेकंड में बोली लगाने से बचें । क्योंकि किसी भी प्रकार की चूक / कमी अथवा वेंडर पक्ष की विफलता (जैसे इंटरनेट संपर्क टूट जाना / बिजली गुल होना आदि ) के लिए न तो बैंक और न ही सेवा प्रदाता उत्तरदायी होगा।
22. सर्वोच्च / सफल बोलीकर्ता के मामले में बयाना राशि को समायोजित कर लिया जाएगा। असफल बोलीकर्ताओं से प्राप्त बयाना राशि ई-नीलामी की तारीख से 7 कार्य-दिनों के अंदर वापस कर दी जाएगी तथा बोलीकर्ता को इस संबंध में कोई ब्याज, लागत, व्यय और किसी भी तरह का प्रभार देय नहीं होगा (यदि कोई हों)।
23. विक्रय प्रमाण-पत्र केवल उसी नाम पर जारी किया जाएगा, जिस नाम पर निविदा प्रस्तुत की गई है।
24. यहाँ ऊपर प्रयोग में लाए गए शब्दों और उक्तियों का अर्थ वही होगा जैसा कि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी एक्ट, 2002 ) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में अभिप्रेत है।
25. किसी भी प्रकार के वाद के लिए न्यायाधिकार क्षेत्र केवल हैदराबाद अवस्थित न्यायालय होंगे।
26. ऐसी स्थिति में जब ई-नीलामी को बिक्री हेतु नियत दिनांक से पहले ही रद्द कर दिया जाता है, तब तद्विषयक नोटिस को केवल सिडबी, हैदराबाद के नोटिस बोर्ड पर ही प्रदर्शित किया जाएगा।
27. यह प्रकाशन, उधारकर्ता / बंधककर्ता / गारंटीदाता के लिए भी 30 दिन का नोटिस है।
28. अधिक जानकारी और ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु किसी प्रकार की सहायता (जिनके पास इंटरनेट नहीं हो ) के लिए इच्छुक बोलीकर्ता भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, 101-102, हर्मिटेज आफिस काम्प्लेक्स, 1 ली मंजिल, हिल फोर्ट रोड, सैफाबाद, हैदराबाद-500004 में श्री विनायक नवघरे (ई-मेल vinayak@sidbi.in, मोबाइल सं. 9966944003) अथवा सेवा प्रदाता मेसर्स सी-1 इंडिया प्रा.लि., उद्योग विहार, फेज -2, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, नं.301, गुड़गांव, हरियाणा-122015, श्री बी. गांधी, मोबाइल सं. 9700333933 (ई-मेल: bikkina.gandhi@bankeauctions.com) से संपर्क कर सकते हैं।

रविन्द्रन ए. लक्ष्मणन

प्राधिकृत अधिकारी

सिडबी

दिनांक : 03.12.2016

स्थान : हैदराबाद